

प्रेषक,

राजीव कुमार,  
मुख्य सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,  
उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग-4

लखनऊ : दिनांक : 29 नवम्बर, 2017

विषय:-लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.09.1991, दिनांक 02.01.1996, दिनांक 27.05.1997, दिनांक 09.08.2007, दिनांक 29.12.2008, दिनांक 05.10.2009, दिनांक 23.11.2009, दिनांक 28.10.2010, दिनांक 03.10.2010, दिनांक 14.03.2012, दिनांक 18.09.2012, दिनांक 09.07.2013 एवं दिनांक 08.09.2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश द्वारा अवगत कराया गया है कि उपर्युक्त संदर्भित शासनादेशों में दिये गये सुस्पष्ट प्राविधानों/निर्देशों के बावजूद विभागों द्वारा आयोग को समय से अधियाचन उपलब्ध नहीं कराये जा रहे हैं या अपूर्ण अस्पष्ट सूचनाओं सहित अधियाचन प्रेषित किये जा रहे हैं, जिस कारण लोक सेवा आयोग की जनशक्ति का अधिकांश समय वृत्तियों के निराकरण में व्यर्थ होता है और विज्ञापन समय से प्रकाशित नहीं हो पाते जिससे चयन प्रक्रिया में भी अनावश्यक बिलम्ब होता है।

3. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को प्रेषित/उपलब्ध कराये जाने वाले अधियाचनों में रिक्तियों की गणना व आरक्षण की पूर्ति की जिम्मेदारी पूर्णतः संबंधित विभाग की है। इस संबंध में अधियाचन में उपलब्ध कराये गये विवरण की प्रमाणिकता का दायित्व संबंधित विभाग को होगा तथा लोक सेवा आयोग का इस संबंध में कोई दायित्व नहीं होगा। प्रत्येक विभाग प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों में यह घोषणा भी करेंगे कि उनके द्वारा चयन वर्षवार रिक्तियों एवं आरक्षण का पूर्ण प्रमाणिकता से आगणन कर लिया गया है। इस प्रकार की घोषणा सहित अधियाचन प्राप्त होने पर लोक सेवा आयोग के स्तर से 01 सप्ताह के अन्दर रिक्तियों के विज्ञापन की कार्यवाही करने में सुविधा होगी।

कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

राजीव कुमार  
मुख्य सचिव

संख्या-15/5/2017(1)-का-4-2017, तद्विनांक।

प्रतिलिपि, सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,

कुमार राघवेन्द्र सिंह  
संयुक्त सचिव